रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED NO. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

सं० 119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905

No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31, मार्च, 1983

सा. का. नि. 306 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि उस व्यक्ति के पक्ष में, जो विदेशी कम्पनी या (कम्पनी से भिन्न) ऐसा व्यक्ति है, जो अनिवासी है, और जिसके साथ खनिज तेल के पूर्वेक्षण या उसका निष्कर्षण अथवा उत्पादन करने के किसी कारबार में केन्द्रीय सरकार ने या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने सहयोजन या भाग लेने के लिए करार किया है, आयकर की दर में कमी की बाबत छूट दी जाए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 293 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपबन्ध करती है कि—

(क) जहां किसी व्यक्ति की कुल आय ऐसे कारबार से प्राप्त केवल लाभों और अभिलाभों के रूप में है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी कुल आय पर संदेय कर ऐसी कुल आय पर, ऐसी आय के 50 प्रतिशत की दर से, जिसमें ऐसे आयकर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार बढ़ा दिया जाएगा, संगणित आयकर की रकम होगी :

(ख) जहां ऐसे व्यक्ति की कुल आय के अन्तर्गत ऐसे लाभ और अभिलाभ हैं, वहां उसके द्वारा उसकी कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित होगा :—

(1) खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार कुल आय में सम्मिलित उस खण्ड में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों पर उसके द्वारा संदेय आयकर और अधिभार का जोड़ ;

(2) कुल आय की रकम पर आयकर की औसत दर से, जो यदि उक्त खण्ड लागू न होता तो लागू रही होती, संगणित आयकर की रकम, जिसमें से खण्ड (क) में निर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों की रकम कम कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आयकर की औसत दर" से वह दर अभिप्रेत है जो कुल आय पर संगणित आय-कर की रकम को ऐसी कुल आय द्वारा विभाजित करके निकाली गई हो ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1983

No. 120/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 292(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/83-Central Excises, dated the 31st January, 1983

[F. No. 7/1/83-CX.I]
R. DEB, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983